रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 1987/भाद्र 19, 1909

No. 190] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1987/BHADHA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

11.12.87

मंत्रीमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1987

संकल्प

फा. स. ए-11019/5/87-प्रशा. I:—सरकार ने एक राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके निम्नलिखित व्यापक कार्य होंगे :—

(क) क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनो के कार्यों तथा सुरक्षा संबंधी उपायों के कार्यान्वियन मे उनकी प्रभावशालिता का निरीक्षण करना ;

(ख) सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रतिपादन और कार्यान्वियन का न्वय करना जिसमें परिवहन का एक से अधिक क्षेत्र निहित हो ;

(ग) सुरक्षा उपायों के संबंध मे अनुसंधान और विकास का समन्वय करना जो परिवहन के विभिन्न साधनों के सामान्य हित में हो;

(घ) परिवहन के एक क्षेत्र में अपनाए गए सुरक्षा संबंधी उपायों की सूचना को परिवहन के दूसरे क्षेत्रों में उस सी मा तक जहां तक वे लाभकारी हों, के प्रसार के लिए सूचना-प्रसार-केन्द्र के रूप में कार्य करना ; और

(ङ) सुरक्षा अथवा राहत उपायों के संवर्धन हेतु परिवहन क्षेत्र के बाहर की एजेंसियों को शामिल करने के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करना ।

2. प्रस्तावित राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड का कार्य अनुशंसात्मक होगा। यह बोर्ड दुर्घटना के व्यक्तिगत मामलों की छानबीन अथवा जांच-पड़ताल नहीं करेगा ।

3. इस बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा :

(क) इस बोर्ड में 6 सदस्य होंगे जो रेलवे, सड़क, अन्तर्देशीय जल परिवहन, नागर विमानन, समुद्री परिवहन आदि के सुरक्षा क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ तथा सरकार द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य विशेषज्ञ भी होंगे।

(ख) जबकि इस बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जिसकी कार्य अवधि 5 वर्ष होगी, अन्य सदस्य अंशकालिक होंगे ।

(ग) इस बोर्ड का अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो परिवहन क्षेत्र में अनुभव रखता हो ।

(घ) यह बोर्ड, सरकार या निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ/सुविज्ञों जिसमें विभिन्न परिवहन क्षेत्रों के सुरक्षा संगठनों से जुड़े कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, के साथ मिलकर कार्य कर सकता है ।

4. इस बोर्ड को एक सचिवालय की सहायता प्रदान की जाएगी जिस का प्रधान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे का सचिव होगा। इस सचिवालय में परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों और शीर्षस्थ निकाय से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अपेक्षित सहायक स्टाफ होगा। इस सचिवालय का स्टाफ विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा।

5. मंत्रिमण्डल सचिवालय के वित्तीय सलाहकार की सहमति से बोर्ड के सचिव द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। यदि किसी आदेश के मामले में सचिव स्तर का अधिकार प्रयोग करना अपेक्षित हो, तो उसे मंत्रिमण्डल सचिवालय में सचिव (समन्वय) के पास भेजा जाए।

दीपक दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 10th September, 1987

RESOLUTION

F. No. A-11019|5|87-87-Ad. I.—The Government have decided to set up a National Transportation Safety Board with the following broad functions :—

(a) To oversee the function of the sectoral safety organisations and their effectiveness in the implementation of safety related measures ;

(b) To coordinate the formulation and implementation of safety related measures involving more than one sector of transport ;

(c) To coordinate research and development in regard to safety measures which would be of common interest to different modes of transport ;

(d) To act as a clearing house for dissemination of information of safety related measures adopted in one sector of transport to the other sectors of transport to the extent they can be useful ; and

(e) To act as an umbrella organisation for the involvement of agencies outside the transport sector for promting safety or for relief measures.

2. The role of the proposed National Transportation Safety Board shall be recommendatory. The Board shall not investigate or enquire into individual accident cases.

3. The composition of the Board will be as under :—

(a) The Board will consist of 6 Members, who shall be technical experts in the fields of safety in railways, roads, inland water transport, civil aviation, maritime transport etc., and other experts considered suitable by the Government.

(b) While the Board shall have a full-time Chairman with a term of 5 years, the other members shall be part-time.

(c) The Chairman of the Board shall be an eminent person with experience in some transport sector.

(d) The Board may interact with other experts|specialists in the Government or in the private sector including officials connected with the safety organisations of different transport sectors.

4. The Board shall be serviced by a Secretariat headed by a Secretary of the rank of a Joint Secretary to the Government of India. The Secretariat shall have requisite supporting staff to deal with different sectors of transport as also administrative matters pertaining to the apex body. The Secretariat staff may be drawn from different Departments|Ministries on deputation.

5. Sanctions shall be issued by the Secretary of the Board with the concurrence of the Financial Adviser of the Cabinet Secretariat. In case, any sanction requires, the exercise of powers of Secretary level, this may be referred to the Secretary (Coordination) in Cabinet Secretariat.

DEEPAK DASGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987